

2

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

पेश किया: नकल वकील वादी
दिलाई जाकर शां मिलल किया
गया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रांपत
दिनांक 9/3/17 को पेश हुआ

9/3/17- पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब
प्रांपत पत्रावली दिनांक 20/4/2017
को पेश हुआ

20/4/17

पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी
R-0 मदीम व्यस्थ है।
पत्रावली
दिनांक..... 18/5/17 को पेश हुआ

4/5/17 प्रत्येक दिनांक 9 मधु से 30 घण्टा
के पश्चात् आयोजित राजस्व लोक
अदालत केम कोर्ट में रखने योग्य
धरत जाते स्थान हेतु प्रार्थी द्वारा
प्राथना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक दले
अदालत सेवा केंद्र सधूर
में दिनांक 10/5/17 को
आयोजित लोक अदालत में
कार्ड में पेश हुआ

पक्षकाराने उप./अनु/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी
उप./अनु। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई।
पक्षकाराने कोई शर्त माँगे, प्रस्तुत प्रार्थना
नहीं हुआ। जलसे पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को
वापिस लाटाया जाये। पक्षकारान् सम्बन्धित
न्यायालय में दिनांक 10/5/17 को पेश हुआ।

पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी
व्यस्थ है।
पत्रावली
दिनांक..... को पेश

10/5/17

पत्रावली लोक अदालत / केम कोर्ट
मुकाम अदालत सेवा केंद्र सधूर
में पेश हुई। वकील वादी व वादीसखी

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम हुकम की तारीख में जारी हुए | जारी |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | <p> 2 उट्टा का पुत्र रामदेव उप० हुं जिन्हीने आदेशिका पर उपस्थिति दर्ज की। प्रकरण में उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पतावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अंकित विवादित भूमि ख० स० 2247 ख० 6 बिस्वा गं० मु० चाहु वारी व परिवारद्वारा के राजनीती खाते में दर्ज हैं। प्रकरण में अंकित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य दिनांक 28/06/2016 को राजनीती निष्पादित किया हुआ है, जिसकी दायीपति सलमन है। प्रकरण में वारी व परिवारद्वारा के मध्य चाहु 0.06 बिस्वा की भूमि को लेकर ही विवाद है। जिसके सम्बन्ध पूर्व में ही राजनीती किया हुआ है। पक्षकार पूर्व राजनीती की पालना करवाने में ही सन्तुष्ट हैं। </p> <p> हुंने पतावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के उपरान्त व पक्षकारों से समझाविस की। बाद समझाविस वकील पक्षकारों पूर्व में ही है है। राजनीतीनुसार सन्तुष्ट हैं। विवादित भूमि का सीमास्तान करवाकर 1/2-1/2 हिस्से पर एक-दूसरे के हिस्से में दखलान्दाजी नही करने पर सन्तुष्ट हैं। </p> <p> अतः प्रकरण में नैतिक राजनीतीनुसार विवादित भूमि में </p> | <p> रामदेव रामदेव पुत्र उट्टा माली </p> | |

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

3

वादी अपने डिस्से की 0.03 बीघा भूमि व प्रतिवादीगण 0.03 बीघा भूमि पर अपने डिस्से पर कब्जा रेंदुगे व एक दुसरे को चाहु पर आने जने व पानी निकलने में अवधान पैदा नही करेगे। वादी व प्रतिवादीगण एक-दुसरे के डिस्से में दखलदाजी नही करने हेतु पाबंद रहेगे।

उक्तानुसार पूर्व में हुमे राजनीकेश्वर वाद डिक्री किमा जाता हुं पचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार की जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय लोक अदालत/ कैंप कोर्ट - सधूर में लिखा जाकर सुनाया गया।

सुपखण्ड अधिकारी
किडोली (बन्दी)